

## परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी के लिए प्रस्ताव

हम एतद्वारा भारतीय निर्यात ऋण गरंटी निगम लिमिटेड की परेषण निर्यात (स्टॉकधारक एजेंट) पॉलिसी की निबंधनों व शर्तों (जिसे हमने पहले ही पढ़ लिया है ) के अनुसार पॉलिसी में परिभाषित हमें होनेवाली संभावित हानि के एक भाग, पर बीमा रक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं।

**भाग - I : निर्यातक पर जानकारी (कॉलम सं. 3 से 8 केवल तभी भरें जब आप इसी जी सी से पहली बार पॉलिसी के लिए संपर्क कर रहे हैं)**

1.	निर्यातक का नाम	स्वामित्व/भागीदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी/अन्य (कृपया स्पष्ट करें )
2	क्या आपने इसीजीसी की अन्य कोई पॉलिसी ली है यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें।	पॉलिसी सं./
3	पता	फोन नं. फैक्स नं ई-मेल
4	आयात-निर्यात कोड सं	
5	निर्यातक के बैंक का नाम व पता	
6	इकाई की हैंसियत	निर्यात प्रतिष्ठान / व्यापार प्रतिष्ठान / स्टार व्यापार प्रतिष्ठान/ सुपरस्टार व्यापार प्रतिष्ठान / अन्य
7	संपर्क अधिकारी व पदनाम	
8	मालिक/भागीदार/निदेशको के नाम	पूर्ण नाम (कुलनाम, पिता/पति के नाम सहित)

		1. 2. 3 4. 5. 6. (यदि आवश्यकता हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)
9	सहयोगी संस्थाओं के नाम व पते	

## भाग - II स्टॉकधारक एजेंट पर जानकारी

10	स्टॉक धारक एजेंट का नाम व पता	टेलीफोन फैक्स इ-मेल
11	स्टॉक धारक एजेंट के बैंक का नाम व पता	टेलीफोन फैक्स इ-मेल बैंक खाता सं (यदि उपलब्ध है)
12	यदि आपके संगठन व स्टॉकधारक एजेंट के बीच कोई वित्तीय संबंध हैं, तो कृपया विवरण दे.	

13. एजेंट के साथ पिछले एक वर्ष का अनुभव यदि है (अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)

क्र. सं.	पोतलदान की तारीख	मूल्य (रु. में)	भुगतान की शर्तें	वसूली की तारीख	यदि कोई विलंब/अतिदेय हुआ है उसका कारण


### भाग III -- स्टॉकधारक एजेंट के साथ संविदा/समझौता/ऑर्डर का विवरण

14.	यदि एजेंट के साथ कोई संविदा/समझौता किया है, उसका विवरण	सं. तारीख समाप्ति की ता. (यदि कोई हो)
15.	<u>वस्तु</u>	

16.	एजेंट के जरिए अपेक्षित विक्री	<u>राशी</u>	तिमाही				वर्ष के लिए कुल
			I	II	III	IV	
		विदेशी मुद्रा मे  भारतीय मुद्रा मे					

17.	अगले बारह महीनों के दौरान किसी भी समय अपेक्षित बकाया अधिकतम राशि	विदेशी मुद्रा मे :  भारतीय रु. मे :
18.	भारत में भुगतान प्राप्त होने के लिए पोतलदान की तारीख से औसत दिनों की संख्या	

### भाग V -- अंतिम खरीदारों पर जानकारी

19.	क्या स्टॉकधारक एजेंट अपनी विक्री अपने देश से बाहर करते हैं ?	
20.	यदि हाँ, तो उन सभी देशों के नाम जहाँ विक्री की गई है और प्रत्येक देश में अनुमानित वार्षिक पण्यावर्त	

21.	अंतिम खरीदारों को प्रदान की जाने वाली ऋण की संभावित राशि	<u>अधिकतम राशि</u> विदेशी मुद्रा में रु. में <u>औसत राशि</u> विदेशी मुद्रा में रु. में
22.	अंतिम खरीदार को प्रदान की जाने वाली ऋण की औसत अवधि	
23.	वर्तमान में आपकी जानकारी में रहने वाले अंतिम खरीदारों के नाम व पते, प्रत्येक के लिए प्रदान की जाने वाली (संभावित) ऋण राशि के साथ बताएँ। (यह माना गया है कि आपके लिए उन सभी संभावित अंतिम खरीदारों की सूची देना संभव नहीं है जिन्हें ऋण प्रदान किया जाना पड़ सकता है। कृपया नोट करें कि पॉलिसी जारी करते समय आपके किसी भी खरीदार के संबंध में आपको उपलब्ध स्वाधीन साख-सीमा सूचित की जायेगी जो कि तब तक वैध रहेगा -- जब तक कि वह चूककर्ता खरीदार की सूची में नहीं है। तथापि, यदि आप कुछ अंतिम खरीदारों के लिए इससे अधिक की साख-सीमा चाहते हैं, आपको निगम को आवेदन करना होगा और उसका अनुमोदन प्राप्त करना होगा.)	नाम व पता, प्रदान किए जाने वाले ऋण की देश सहित संभावित राशि <u>विदेशी मुद्रा में</u> <u>भारतीय रु. में</u>
24.	कृपया बताएँ कि क्या पहले कभी किसी अंतिम खरीदार की असफलता के कारण आपको कोई हानि उठानी पड़ी है। यदि ऐसा है तो ऐसे प्रत्येक अंतिम खरीदार के संबंध में चूक का कारण दर्शाते हुए विवरण दें।	

#### भाग V -- आवश्यक रक्षा का प्रकार (क, ख, ग अथवा घ के सामने टिक करें)

25. राजनीतिक जोखिम, पोतलदान की तारीख से भारत में वसूली होने की तारीख तक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक विकल्प शामिल होगा :

क. स्टॉकधारक एजेंट व अंतिम खरीदारों पर वाणिज्यिक जोखिम	
ख. केवल स्टॉकधारक एजेंट पर वाणिज्यिक जोखिम	
ग. केवल अंतिम खरीदारों पर वाणिज्यिक	

<b>जोखिम</b> घ. किसी वाणिज्यिक जोखिम की आवश्यकता नहीं	
--	--

### अनुदेश :

1. आवेदन पत्र के सभी कॉलमों को पढ़ने लायक अक्षरों में लिखें अथवा यदि संभव हो तो टाइप करवाएँ ।
2. यदि एजेंट के साथ कोई करार/संविदा की गई है तो उसकी प्रति संलग्न करें ।
3. यदि एजेंट अथवा किसी भी अंतिम खरीदार पर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो कृपया उसे संलग्न करें ।

### वचन

1. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमें स्टाकधारक एजेंट तथा अंतिम खरीदारों से संबंधित ऐसी किसी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है जिसका ऐसे किसी जोखिम, जिस पर हम बीमा के लिए आवेदन कर रहे हैं, हेतु आपकी स्वीकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
2. हमें यह जानकारी मिलने के बाद कि स्टॉकधारक एजेंट अथवा कोई भी अंतिम खरीदार वित्तीय कठिनाईयों में है अथवा ऐसी परिस्थिति प्रतीत हो रही है कि उसे पोतलदान करना उचित नहीं है, हम उसे आगे और पोतलदान नहीं करेंगे ।
3. हम एतद्वारा घोषित व प्रमाणित करते हैं कि आवेदन में दिए गए सभी विवरण सही हैं एवं हमने ऐसे किसी आवश्यक तथ्य को छिपाया नहीं है अथवा उसका मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है जिसका पॉलिसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के अभिवेदन व तथ्य पॉलिसी का आधार बनेंगे व उन्हें पॉलिसी में शामिल किया जाएगा तथा यह कि तथ्यों के रूप में इस प्रकार के अभिवेदनों की सच्चाई व इसमें अथवा पॉलिसी में शामिल प्रत्येक वचन का उचित निष्पादन, इसके अधीन निगम की किसी देयता की पूर्व शर्त होगी एवं हमारे द्वारा उसका प्रवर्तन किया जाएगा ।
4. हम समझते हैं व सहमत हैं कि हमें हुई किसी हानि के लिए हमारे द्वारा दावा किए जाने व इस पॉलिसी के अथवा पृष्ठांकन जो किसी भी समय इस पॉलिसी के साथ संलग्न किया गया हो, के अधीन निगम द्वारा उस पर स्वीकार किए जाने पर दावे की अदायगी सीधे प्रस्ताव फॉर्म में नामित बैंक को की जाएगी

जिसके जरिए संबंधित पोतलदान (नों ) के निर्यात दस्तावेज भेजे गए थे तथा हम इस बात से भी सहमत हैं कि ऐसी स्थिति में उसके बाद बैंक की पावती निगम को किसी भी प्रकार की देयता से कानूनी रूप से मुक्त करेगी तथा निगम की हमारे प्रति आगे किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी ।

निर्यातक के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मोहर

पते का स्टैम्प

दिनांक :

**नोट :** निगमित कंपनियों के मामले में इस प्रस्ताव पर कंपनी की ओर से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए व हस्ताक्षरकर्ता के पद का उल्लेख किया जाना चाहिए । भागीदारी के मामले में फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । स्वामित्व के मामले में फॉर्म पर मालिक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ ।

# "किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से भारत में किसी के जीवन अथवा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में, देय प्रीमियम में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से छूट देने अथवा पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम में किसी प्रकार की छूट देने का प्रलोभन देकर किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने अथवा उसे नवीकृत करने या उसे जारी रखने, न ही किसी व्यक्ति को किसी छूट को स्वीकार कर पॉलिसी लेने, उसे पुनर्निर्मित करने अथवा उसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी छूट के संबंध में बीमाकृत द्वारा प्रकाशित किसी विवरण पत्रिका अथवा किसी टेबल के अनुसार अनुमति न दी गई हो । "

**"इन निबंधनों व शार्टों की व्याख्या में यदि कोई विवाद हुआ तो अंग्रेजी संस्करण ही विधिमान्य होगा"**

**"In case of dispute in respect of interpretation of these terms & conditions the ENGLISH version shall stand valid"**

